फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत :– **उपखण्ड अधिकारी मुकामः– नसीराबाद**

पप्पू उर्फ इरफान बनाम गोपी वगै.

किस्म मुकदमा :– 88, 188 RTA, 136 LRA. प्रकरण संख्या 63 सन् :– 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.4.18	अधिवक्ता वादी ने उक्त वादपत्र पेश किया। वाद पत्र पर वकील वादी को सुना गया। वाद पत्र के साथ सलंग्न धारा 80 (2) सी.पी.सी. प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियकें नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते इन्तजारी तलबी दिनांक 15.6.18 को पेश हो। [signature]	
	न्याय आपके द्वार अभियान - 2018 **लोक अदालत**	
15.6.18	पत्रावली कैम्प लाडखाणा में पेश हुयी। श्रीमान् तहसीलदार ने जवाब पेश किया जो शामिल किया गया। प्रतिवादी गोपी स्वयं ने उपस्थित हो कर बयान दर्ज करवाये व वाद में अपनी रजामन्दी व्यक्त की। वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम लाडखाणा के खाता संख्या 56/39 किता 8 रकबा 1.13, 55/38 किता 2 रकबा 4.70 की आराजी वादी की पुश्तैनी है उक्त आराजी पर वादी का नाम त्रुटि से पप्पू दर्ज कर रखा है अतः वादी का नाम पप्पू उर्फ इरफान किया जावे। [signature]	[thumb impression] ह. वि. गोपी

पत्रावली का अवलोकन किया। राजस्व कागजों में वादी का नाम पप्पू अंकित है जबकि उसका वास्तविक व सही नाम प्रधान है। मतदाता परिचय पत्र, आधारकार्ड, पेन कार्ड में वादी का नाम प्रधान ही है उक्त नाम दुरुस्त करने से प्रतिवादी के हितो पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडेगा। प्रतिवादी 1 ने सहमती प्रकट की है राज्य सरकार ने वाद का खण्डन नही किया है।

अतः ग्राम लाहरवाडा के खाता संख्या 56/39 किता 8 रकबा 1.13 व 55/38 किता 23 रकबा 4.70 की आराजी पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। उक्त आराजी पर वादी का नाम पप्पू के स्थान पर प्रधान किया जावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो व दाखिल दफ्तर हो।

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत/कैम्प कोर्ट
लाहरवाडा।

न्याय आपके द्वार 2018
डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

पप्पू उर्फ प्रधान बनाम गोमीं

दावा बाबत :– 88, 188 रा.का.अधि 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर –63/18
पेश करने की दिनांक – 26.4.18

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू श्री वीरेन्द्र सिंह यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुददई स्वयं मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया ज़ाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम लोहरवाडा के खाता संख्या 56/39 किंता 8 रकबा 1.13 व 55/38 किंता 23 रकबा 4.70 की आराजी पर वादी का वाद **''स्वीकार''** किया जाता है। उक्त आराजी पर वादी का नाम पप्पू के स्थान पर प्रधान किया जावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक—— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 15 माह 06 सन् **2018** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद